कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, रायपुर
रिंग रोड, जोगीवाला, देहरादून–248001
दूरभाष / फैक्स 0135–2672069 ई–मेल eeujsraipur@gmail.com eerai-ujs-uk@nic.in

पत्रांकः 509 / वन भूमि हस्तान्तरण / 2020-21 दिनांक : 23/9/2020

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग मसूरी।

विषय : **जनपद देहरादून में आयुद्ध विहार (गढ़वाली कालोनी) लाड़पुर में ओवर हैड वाटर टैंक के निर्माण हेतु 0.075 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **शासनादेश संख्या–867(1) / X–3–20 / 2(23) / 2020 दिनांक 10.08.2020 ।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा इस काय्र को अवगत करया गया था कि भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मत्रांलय के पत्र संख्या एफ0नं0–11–09 / 98–एफ0सी0 दिनांक 11–09 / 98–एफ0सी0 दिनांक 07 नवम्बर 2014 एवं पत्र संख्या एफ0नं0–11–09 / 98–एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी 2014 तथा 11–09 / 98–एफ0सी0 दिनांक 18 दिनांक 2015 के माध्यम से उक्त कार्य हेतु सैद्धांदिक स्वीकृति निर्गत की गयी तथा जारी सैद्धांतिक में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में इस कार्यालय को अवगत कराया गया।

शर्त संख्या 1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 149100.00, कारपोरेशन बैंक लोदी ब्रांच ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज 1, लोदी रोड़ नई दिल्ली 110003, खाता संख्या 150895345024990 एवं IFSC CODE CORP0000371 में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (आर0टी0जी0एस0 की प्रति संलग्न)

शर्त संख्या 2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान धनराशि रू0 149100.00 (एन0पी0वी0) जमा कर दी गयी है।

शर्त संख्या 3– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)

शर्त संख्या 4– बिन्दु संख्या (4) के अनुपालन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि शर्त संख्या 1 एवं 2 में आन लाईन पोर्टल में हस्तान्तरित / जमा करा दी गयी है।

शर्त संख्या 5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या 6– प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को सलंग्न की गयी है।

शर्त संख्या 7– प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार मान्य होगा।

शर्त संख्या 8–उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में समस्त शर्तों का पालन किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद देहरादून के आयुद्ध विहार (अपर गढ़वाली कालोनी) लाड़पुर में में उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु 0.075 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान रायपुर को विधिवत स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

भवदीय

(वी0सी0 रमोला)
अधिशासी अभियन्ता